न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 01/2008

दिनेश कुमार पुत्र गजानन्द जाति धाकड निवासी किशनपुरा तह0 मांगरोल .....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद वास्ते घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री रामरतन गौचर, बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 05.03.2008

निर्णय दिनांक : 10.05.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी को ग्राम किशनपुरा में दिनांक 24.01.1983 को खसरा नं0 501/3/6 की रकबा 7 बीघा मि0 नं0 390 से कृषि भूमि आवंटित की गयी। वादी द्वारा सम्पूर्ण राशी जमा कराने के बाद मात्र खसरा नं0 693 रकबा 0.22 है0 खसरा नं0 663 रकबा 0.3 है0 और खसरा नं0 691/937 रकबा 0.07 है0 किता 3 रकबा 0.32 है0 पर ही वादी को गैरखातेदारी दर्ज की है। जबकि प्रतिवादी द्वारा वादी को 1.12 है0 पर खातेदारी दी जानी थी लेकिन प्रतिवादी ने मात्र 0.32 है0 पर ही खातेदारी प्रदान की और 0.80 है0 पर खातेदारी नही दी। जबकि मौके पर सम्पूर्ण रकबा 7 बीघा पर वादी काबिज काश्त है। अतः वादी का कमी रकबा 5 बीघा पूरा किया जाकर वादी के खाते में 0.32 है0 के स्थान पर 1.12 है0 का खातेदार घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 05.03.2008 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/ केम्प किशनपुरा दिनांक 10.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि वादी दिनेश कुमार पुत्र गजानन्द जाति धाकड निवासी किशनपुरा को दिनांक 24.01.1983 को खसरा नं0 501/3 की 7 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। जिस पर दिनांक 28.08.1998 को खसरा नं0 181 से

रेकार्ड व नक्शा मौका एवं मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं0 693 रकबा 0.22 है0 खसरा नं0 663 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 691/937 रकबा 0.07 है0 किता 3 रकबा 0.32 है0 पर गैर खातेदारी दर्ज हुई थी जिसका पुस्त पर नजरी नक्शा दर्ज है। सेटलमेंट द्वारा पुराने नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे में परिवर्तन होने व मिलान क्षेत्रफल से उक्त रकबे का मिलान नही होने से 0.32 है0 पर ही गैर खातेदारी तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दी गयी है। जो सही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादी द्वारा कमी रकबा 5 बीघा पूरा किया जाकर वादी के खाते में 0.32 है0 के स्थान पर 1.12 है0 का खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है ने रिपोर्ट में अंकन किया की वादी को आवंटित आराजी में कमी सेटलमेंट द्वारा पुराने नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे में परिवर्तन होने व मिलान क्षेत्रफल से उक्त रकबे का मिलान नही होने से 0.32 है0 पर ही गैर खातेदारी दर्ज किये जाने से हुयी है। जो सही है। एवं वादी ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।